कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

Phone Number/Fax Number 07853-220348, E-mail ID - actd.bijapur@gmail.com

क्रमॉक / 2721 / आ.वि. / ऑ.पो.मै.आ.छा. / 2024–25 बीजापुर दिनॉक 28/ 01 / 2025

प्रति,

जनसंपर्क अधिकारी,
जिला बीजापुर

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2024–25 आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जिले के 03 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बाबत्।

—::000::—

विषयांतर्गत विज्ञप्ति को जिले स्तरीय बहुप्रचारित तीन समाचार पत्रों (जिनकी पहुँच ग्रामीण अंचलो तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित का कष्ट करें, जिससे जिले में संचालित समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यायल, आई.टी.आई. एवं पालीटेक्निक में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजनाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यो / संस्था प्रमुखों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) की स्वीकृति की अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सके।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बीजापुर

पृ.क्रमॉक / 2722 / आ.वि. / ऑ.पो.मै.आ.छा. / 2024–25 बीजापुर दिनॉक 28/ 01 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला–बीजापुर की ओर सूचनार्थ।
3. सर्व प्राचार्य, महाविद्यालय / आई0टी0आई0 / पॉलिटेक्निक .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बीजापुर

कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

Phone Number/Fax Number 07853-220348, E-mail ID - actd.bijapur@gmail.com

क्रमॉक / 2723 /आ.वि. / आ.पो.मै.आ.छा. / 2024–25 बीजापुर दिनॉक 28 / 01 / 2025

: : सूचना प्रकाशन : :

वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि में वृद्धि की सूचना

जिला बीजापुर में संचालित शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, आई0टी0आई0 एवं पॉलिटेक्निक संस्था जिनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2024–25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** के वेबसाईट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु निम्नानुसार तिथि की जाती है :–

क्र0	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवनीकरण)	दिनांक 01.02.2025 से दिनांक 17.02.2025 तक
2	Draft Praposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.02.2025 से दिनांक 28.02.2025 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.02.2025 से दिनांक 20.03.2025 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024–25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आफलाइन अथवा आनलाइन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नही किये जावेंगे एवं Draft proposal अथवा Sanction Order Lock करने के अवसर भी प्रदान नही किया जावेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

1. **छात्रवृत्ति हेतु निम्मनानुसार पात्रता निर्धारित है :–**
   क. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय–सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय–सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष।
   ख. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
   ग. छ0ग0 शासन का मूल निवास प्रमाण पत्र।
   घ. विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
2. छात्रवृत्ति का PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय **आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही** प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
3. वर्ष 2024–25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार Geo-Tagging नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास बीजापुर